न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —44/2018 (अपील)

GCMS No.- 2018/00157

1. विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश पंजाबी जांगीड़ ब्राह्मण निवासी श्रीपुरा विकास भवन के सामने कोटा
2. विपिन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश मृतक जर्ये कायम मुकाम—
   2/1 श्रीमति उषा शर्मा बेवा विपिन कुमार
   2/2 विशाल शर्मा पुत्र विपिन कुमार
   2/3 गोरव शर्मा पुत्र विपिन कुमार
   जाति पंजाबी जांगीड़ ब्राह्मण निवासी श्रीपुरा विकास भवन के सामने कोटा
3. सुरजीतरानी बेवा ओमप्रकाश पंजाबी जांगीड़ ब्राह्मण निवासी श्रीपुरा विकास भवन के सामने कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 15.5.2018
योग्य तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितः—

1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—05.02.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 283/06 निर्णय दिनांक 23.11.2007 से धारा 90 ए के तहत ग्राम रामपुरा की आराजी खसरा नं0 18 रकबा 0.04 हे0 भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश किया गया था जिसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई, जिस पर इस न्यायालय से बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 18.7.2011 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा का आदेश दिनांक 23.11.2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया गया । तत्पश्चात तहसीलदार लाडपुरा द्वारा सुनवाई की जाकर अपने निर्णय दिनांक 15.5.2018 से 90ए की कार्यवाही को समाप्त कर दिया किन्तु उक्त भूमि जिला कलक्टर कोटा के आदेश से नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज होने से सक्षम न्यायालय से उक्त आदेश निरस्त करवाकर संदर्भित भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र होने का आदेश पारित किया गया ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. तहसीलदार लाडपुरा के उक्त आदेश दिनांक 15.5.2018 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.6.2018 को पेश की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई, अधीनस्थ न्यायालय की सम्बन्धित पत्रावली तलब की गई तथा वर्तमान रिपोर्ट प्राप्त की गई । वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 90ए की कार्यवाही मेन्टेनेबल नहीं मानते हुए 90ए की कार्यवाही निरस्त करते हुए भूमि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.11.2007 के 90(क) के आदेश से सिवायचक दर्ज कर देने के पश्चात नगर विकास न्यास के खाते दर्ज कर देने मात्र से सक्षम न्यायालय से भूमि पुनः अपने नाम दर्ज कराने का आदेश देने में भारी त्रुटि की है जबकि तहसील के जिस आदेश से भूमि सिवायचक दर्ज कर नगर विकास न्यास के खाते दर्ज की गई थी उसमें सिवायचक दर्ज करने के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील करने पर दिनांक 18.4.2011 को अपील स्वीकार कर पत्रावली रिमाण्ड की थी तथा रिमाण्ड के बाद न्यायालय ने कार्यवाही मेन्टेनेबल नहीं मानी तथा 90(क) की कार्यवाही निरस्त कर दी । इस प्रकार नगर विकास न्यास के नाम दौराने अपील की गई थी जो कार्यवाही समाप्त हो जाने से स्वतः ही समाप्त हो चुकी है तथा अलग से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । विवादित भूमि खातेदारी की है तथा भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही दिनांक 24.3.1982 से ही कार्यवाही जेरकार है जिससे भूमि नगर विकास न्यास की खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है । अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में नगर विकास न्यास कोटा के खाते से हटाकरअपीलान्ट के खाते दर्ज करने की सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के स्थान पर स्वयं भूमि सिवायचक व नगर विकास न्यास के नाम से हटाकर अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करें । अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त 2020(2)cj(civ.)(sc) 671, 1990 RRD355-363 yashwant Singh V/s State

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि 90ए के अन्तर्गत भूमि सिवायचक दर्ज होने उपरान्त जिला कलक्टर कोटा के आदेश से सिवायचक भूमि नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज हो चुकी है, जो इस न्यायालय से पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है । इसके लिए अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय से जिला कलक्टर कोटा के आदेश को निरस्त कराना होगा । अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 15.5.2018 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 18.6.2018 को पेश की गई है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 283/06 निर्णय दिनांक 23.11.2007 से धारा 90 ए के तहत ग्राम रामपुरा की आराजी खसरा नं0 18 रकबा 0.04 हे0 भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश किया गया था जिसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई, जिस पर इस न्यायालय से बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 18.7.2011 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा का आदेश दिनांक 23.11.2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया गया । तत्पश्चात तहसीलदार लाडपुरा द्वारा सुनवाई की जाकर अपने

जिला कलक्टर
कोटा

निर्णय दिनांक 15.5.2018 से 90ए की कार्यवाही को तो समाप्त कर दिया किन्तु उक्त भूमि कार्यालय जिला कलक्टर कोटा के आदेश से नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज होने से उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय से निरस्त करा भूमि अपने नाम दर्ज कराने बाबत आदेश पारित किये गये है । चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा 90ए की कार्यवाही के तहत भूमि सिवायचक दर्ज की गई तथा 90ए की कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया गया किन्तु इससे पूर्व ही उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से तहसीलदार लाडपुरा के प्रस्ताव अनुसार जिला कलक्टर कोटा के आदेश से नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज हो चुकी है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2020(2)cj(civ.)(sc) 671] 1990 RRD355-363 yashwant Singh V/s State इस प्रकरण में लागू नहीं होते है । विधि अनुसार यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया जाता है तो उस आदेश को वह स्वयं निरस्त नहीं कर सकता है, उसकी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर ही राहत प्राप्त की जा सकती है । इस प्रकरण में भी तहसीलदार द्वारा 90ए की कार्यवाही तो निरस्त कर दी गई किन्तु उक्त विवादित भूमि नगर विकास न्यास कोटा के नाम इस कार्यालय द्वारा की गई है जिसे तहसीलदार लाडपुरा निरस्त नहीं कर सकता है और ना ही इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में इस अपील के जरिये उक्त विवादित भूमि अपीलांट के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है । अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

6. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है ।

7. निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा